

कायालय -----

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 03 के तहत आहरण वितरण अधिकार दिये जाने के प्रस्ताव

| क्र.सं. | संस्था का नाम व कार्यालय अध्यक्ष का पद नाम जिसके लिए आहरण वितरण अधिकार दिये जाने हैं | अधिकारी का नाम/पदनाम पदस्थापन स्थान जिनको आहरण वितरण अधिकार दिये जाने हैं मय जन्म तिथि | कॉलम 3 में अंकित अधिकारी का चयन तथा आरपीएससी/ डीपीसी/ पाते वेतन अंकित करें | कॉलम संख्या 2 व 3 में परस्पर दूरी किमी. में | सम्बन्धित कोष / उपकोष का नाम | विभागीय जाँच की स्थिति | कॉलम 3 में अंकित अधिकारी को कितने संस्था/कार्यालय का आहरण वितरण अधिकार है | लेखाकर्मी की टिप्पणी परिपत्र के बिन्दु सं. 1, 2 के अनुसार | संधारित रजिस्टर का क्रमांक व दिनांक | विशेष विवरण |
|---------|--|--|--|---|------------------------------|------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

हस्ताक्षर

APPROVED